न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 05/2017/ जिला–नागौर

1. रेवती पुत्री दगडु उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी डीडवाना जिला नागौर।
2. राधा देवी पुत्री दगडु पत्नी मंगलचन्द उम्र 64 वर्ष जाति माली निवासी डीडवाना जिला नागौर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. इन्द्र चन्द पुत्र दगडु उम्र 75 वर्ष जाति माली
2. बगताराम पुत्र दगडु उम्र 70 वर्ष जाति माली
3. प्रभुराम पुत्र दगडु उम्र 64 वर्ष जाति माली
4. सुगनी देवी पत्नी भागीरथ उम्र 65 वर्ष जाति माली
5. मंजू देवी पुत्री भागीरथ उम्र 65 वर्ष जाति माली
6. संजू देवी पुत्री भागीरथ उम्र 35 वर्ष जाति माली
7. पुष्पेन्द्र सैनी पुत्र भागीरथ उम्र 33 वर्ष जाति माली
8. झुमर पुत्र भागीरथ उम्र 29 वर्ष जाति माली
9. चेतना पुत्री भागीरथ उम्र 23 वर्ष जाति माली समस्त निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
10. देवी सिंह पुत्र जुगल सिंह उम्र 50 वर्ष जाति माली
11. मोहनलाल पुत्र गंगाराम, उम्र 35 वर्ष जाति माली
12. महीपाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत
13. धीरेन्द्र पुत्र उम्मेद सिंह, उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत
    समस्त निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
14. सब रजिस्ट्रार, डीडवाना
15. नायब तहसीलदार, मौजासर तहसील डीडवाना जिला नागौर।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना दिनांक 09–01–2017
अपील संख्या 50/15 बउनवान रेवती वगैरह बनाम इन्द्र चन्द वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सुभाष निम्बावत रेस्पोन्डेन्ट संखया 1 से 3

निर्णय

दिनांकः— 29—9—2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2289 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1932 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2266 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2747 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा के खातेदार दगडु थे। दगडु की मृत्यु वर्ष 1971 में हुई। नायब तहसीलदार, द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2—05—1971 खोला गया। मृतक दगडु के चार पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 9 के पति/पिता श्री भागीरथ के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—8 के प्रावधानों के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है। नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार दगडु के सम्पूर्ण वारिसान को दरकिनार कर केवल दगडु के पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 9 के पति/पिता के नाम स्वीकार किया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक के पुत्र, पुत्री व बेवा का बराबर का हक व हिस्सा है। नायब तहसीलदार, मौलासर ने विरासत के नामान्तरकरण में बेवा व पुत्रियों का नाम अंकित नहीं कर केवल पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2—5—1971 के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने उक्त अपील मियाद बाहर मानते हुए अपील को अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—01—2017 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं कर मियाद बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया जबकि प्रथम अपील नियमानुसार विधिक बिन्दुओं पर निर्णित की जानी चाहिए। नायब तहसीलदार, मौलासर ने विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार दगडु के विधिक वारिसों को दरकिनार कर केवल दगडु के पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत प्रथम पंक्ति के वारिसों में मृतक की बेवा पुत्र व पुत्रियों का बराबर का हिस्सा है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक दगडु के 7 वारिस थे जिसमें 4 पुत्र 2 पुत्रिया व 1 बेवा थी। नायब तहसीलदार, मौलासर ने केवल पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 4 के

पिता के बीच आपसी सेटलमेंट हुआ था जिसमें प्रत्येक का 1/6 हिस्सा स्वीकार किया गया था तथा कब्जा भी मौके पर संभला दिया था। यह आपसी बंटवारा वर्ष 2012 में दिनांक 5–1–2012 को हुआ। उक्त बंटवारे के हिसाब से अपीलकर्ता अपनी भूमि पर काबिज है व काश्त करती चली आ रही है परन्तु आये दिन भाईयों से मौके पर विवाद होने के कारण एक बंटवारे का दावा रेवती बनाम इन्द्रचन्द वाद संख्या 11/2015 प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन था। उक्त मामला अभी भी विचाराधीन चला आ रहा है। उसके प्श्चात अपीलांट को जानकारी हुई कि रेस्पोन्डेन्ट्स के द्वारा आपसी समझौते के तहत मौके पर बंटवारा तो कर दिया गया है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2–5–1971 में अपीलांट्स का नाम विरासत के नामान्तरकरण में नहीं है। तत्पश्चात अपीलांट्स ने उक्त नामान्तरकरण की नकले प्राप्त कर उसकी अपील अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानते हुए भारी भूल की है। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के न्यायालय में बंटवारे के दावे में नामान्तरकरण की जानकारी होना मानकर अपील 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर अपील निरस्त की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट्स अनपढ़ महिला है पढ़ना लिखना नहीं जानती है वर्ष 2012 में जब आपसी समझौता हुआ तब अपीलांट्स को कब्जे पर बंटवारे में आई 1/6 हिस्सा भूमि का कब्जा दे दिया गया था। उसके पश्चात भी मौके पर विवाद होने के कारण ही राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की वास्तविक जानकारी वर्ष 2015 में तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 मौके पर आकर नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2–5–1971 की प्रतिलिपि दिखाते हुए धमकाने लगे कि इस भूमि पर आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तब उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट्स को हुई। अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपील कानिर्णय गुणावगुण के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उनका यह भी तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस विषय पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालयों को मियाद के बिन्दु पर लिबरल व्यू लेना चाहिए तथा प्रकरण का निस्तारण येनकेन प्रकारेण गुणावगुण पर ही किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का खुले रूप से उल्लंघन किया गया है। ऐसे मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न न्यायालयों ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन कर पुत्रियों का हिस्सा नहीं मानने के बिन्दुओं को गम्भीरता से लिया है तथा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि ऐसे मामलों में मियाद का बिन्दु गौण है। माननीय न्यायालयों ने यह भी माना है कि जहां कोई आदेश प्रारम्भ से ही शून्य हो तो ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपना निर्णय पारित करते समय इस बात का उल्लेख तक नहीं किया है। उक्त कारणों के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जावे कि मृतक दगडु के समस्त वारिसान की जोंच कर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजात के मूल खातेदार दगडु थे जिनकी मृत्यु के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2–5–71 नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा उनके जायज वारिसान उसके पुत्र भागीरथ, बागतराम, प्रभुराम, इन्द्र, पिसरान दगडु चारों भाईयों के नाम तस्दीक किया गया है। विवादग्रस्त आराजियात पर विवाह पश्चात पुत्री व बहिन का कोई हक अधिकार निहित नहीं रहता है। नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट्स को पूर्व से ही थी। न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष वाद दायर करते समय अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी थी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा मियाद बिन्दु पर अपीलांट की अपील खारिज की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2289 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1932 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2266 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2747 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 42 बीघा 07 बिस्वा के खातेदार दगडु थे। दगडु की मृत्यु वर्ष 1971 में हुई। नायब तहसीलदार, द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 2–05–1971 मृतक दगडु के चार पुत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 9 के पति/पिता श्री भागीरथ के नाम स्वीकृत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज कर विधिक भूल की है जबकि अधिनस्थ न्यायालय को विधिक वारिसानों की जांच कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत पिता की चल व अचल सम्पत्ति में पुत्रियों का भी बराबर का हक व हिस्सा होता है विवादग्रस्त आराजात पैतृक सम्पत्ति होने से विवादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर मियाब बिन्दु पर ही अपील खारिज कर विधिक भूल की है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा (अतिरिक्त जिला कलक्टर) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2017 अन्तर्गत अपील संख्या 55/2015 बउनवान रेवती वगैरह बनाम इन्द्रचन्द वगैरह एवं नायब तहसीलदार, मौलासर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 02–05–1971 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार दगडु के विधिक वारिसानो की जांच कर उनकी साक्ष्य ली जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण संबंधी आदेश पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर